

दीपक कुमार रावत (अनुदेशक नागरिक सुरक्षा)

आपदा

अति गम्भीर दुर्घटना जैसे–टक्कर, पटरी से उतर जाना, आग लगना इत्यादि का वह विनाशकारी रूप जिसमें धन—जन की इस प्रकार हानि हुई हो कि उपलब्ध सामाजिक एवं आर्थिक संसाधन सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए पर्याप्त न हो तथा उसके पश्चात् उपस्थित स्थिति हमें ''किं कर्तव्यं विमूहं'' की अवस्था में पहुँचा दे, को आपदा कहते हैं।

आपदा के पश्चात् कार्य की प्राथमिकता


- मानव जीवन की सुरक्षा,
- पीड़ितों को चिकित्सकीय सहायता,
- यात्रियों को अन्य सहायता,
- यात्रियों को उनके गन्तव्य तक पहुँचाना,
- परिजनों को सूचना तथा उन्हें दुर्घटना स्थल तक ले आना,

आपदा के पश्चात् कार्य की प्राथमिकता

- यात्रियों के सामान की सुरक्षा,
- रेल सम्पत्ति की सुरक्षा,
- दुर्घटना सम्बन्धी साक्ष्यों की सुरक्षा,
- तोड़—फोड़ के मामले में पुलिस क्लीयरेन्स,

आपदा के पश्चात् कार्य की प्राथमिकता

- यानों को रेल पथ पर चढ़ाना या किनारे रखना,
- ट्रैक एवं सिगनल उपकरणों की मरम्मत,
- ट्रेन संचालन प्रारम्भ करना।



मानव जीवन की सुरक्षा

 घायलों को हर संभव सहायता प्रदान करना

यान में फॅसे यात्रियों को बाहर निकालना

 यान हवा में लटके होने पर रोप लेडर का प्रयोग

पीड़ितों को चिकित्सकीय सहायता

- तत्काल प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करना
- घायलों हेतु स्ट्रेचर का प्रयोग
- घायलों के ट्रान्सपोर्ट के लिए वाहन की व्यवस्था
 - चिकित्सक / डाक्टरों की सूची
 (स्टेशनों पर उपलब्ध रहती है)
 - घायलों / मृतकों की सूची

नोट- प्रायः यह देखा गया है कि रेल कर्मचारियों द्वारा युद्ध स्तर पर कार्य करने के उपरान्त भी संचार माध्यमों से यह सुनने को मिलता है कि रेलवे ने घायलों हेतु कुछ नहीं किया. ये तो बाहरी लोगों जैसे- सेना, स्थानीय पब्लिक, निजी संस्था आदि ने किया है। अतः कार्य करते समय बैज लगाना अत्यन्त आवश्यक है।

यात्रियों को अन्य सहायता

- सभी यात्रियों को निम्न सुविधाएं भी प्रदान की जानी चाहिए :--
- धूप, ठंड तथा वर्षा से बचने के लिये अस्थायी छाया,
- चाय / काफी तथा स्नैक्स की व्यवस्था,
- भोज्य पदार्थ की व्यवस्था
- पेय जल की व्यवस्था

यात्रियों को उनके गन्तव्य तक पहुँचाना

- दूसरी ट्रेन की व्यवस्था
- सड़क मार्ग द्वारा किसी महत्वपूर्ण स्टेशन तक
- शेष ट्रेन को आगे महत्वपूर्ण स्टेशन तक जहाँ
 - पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो,
 - — चाय तथा अन्य खाद्य सामग्री भी उपलब्ध हो।
- यात्रियों के सामान का ट्रान्सिपमेन्ट
- सामानों की देख-रेख हेतु रेलवे स्टाफ
- व्यवस्था के बारे में लगातार उद्घोषणा
- किराये की वापसी की व्यवस्था

परिजनों को सूचना तथा उन्हें दुर्घटना स्थल तक ले आना

- परिजनों को सूचित करने हेतु दूरभाष
- आरक्षण चार्ट में दूरभाष का कालम
- परिजनों को लाने हेतु आवश्यकतानुसार विशेष गाड़ी
- व्यवस्था के बारे में लगातार उद्घोषणा

यात्रियों के सामान की सुरक्षा,

- असामाजिक तत्वों से
 - वर्षा तथा आग से
 - मदद
 - आर.पी.एफ, जी.आर.पी. तथा सिविल पुलिस से
 - यात्री का विवरण जैसे—
 - उसका नाम, कोच सं0, सीट/वर्थ सं0 नोट करें
 - मॉगे जाने पर वापस करे।

रेल सम्पत्ति की सुरक्षा

- रेल सम्पत्ति की सुरक्षा
- मदद
- रेल सुरक्षा बल, राजकीय रेलवे पुलिस या लोकल पुलिस
- लगेज वान की सामग्रियों की सूची

दुर्घटना सम्बन्धी साक्ष्यों की सुरक्षा

- साक्यों को सुरिक्षत रखें
- जहाँ तक सम्भव हो उसे यथा स्थान रहने दे
- किसी अन्य निशान को पेपर पर अंकित करें

तोड़—फोड़ की आशंका में पुलिस क्लीयरेन्स

- तोड़—फोड़ की आशंका होने पर पुलिस क्लीयरेन्स
- घायलों तथा फॅसे हुए यात्रियों को निकालना प्रथम प्राथमिकता
- साक्ष्य से छेड्छाड़ कम से कम
- यात्रियों, रेल कर्मचारियों एवं उपलब्ध लोगों का बयान



यानों को रेल पथ पर चढ़ाना या किनारे रखना

- यातायात बहाल करना
- अधिक टूटे यानों किनारे रखना
- शेष यानों को रेल पथ पर चढ़ाना
- ब्रेक डाउन क्रेन, हाइड्रालिक री—रेलिंग इक्वीपमेन्ट एवं जैक प्रयोग



- यानों को ट्रैक पर रखने और किनारे रखने के साथ रेल पथ की मरम्मत
- ट्रैक मरम्मत अस्थायी रूप से गाड़ियों की उठी हुयी स्थिति में साइट क्लीयर होने के बाद ट्रैक की स्थायी मरम्मत
- ट्रैक फिट

ट्रेन संचालन प्रारम्भ करना

- रेल पथ से रूकावट साफ करना
- रेल पथ, सिगनल इत्यादि की मरम्मत
- शीघ्राति—शीघ्र ट्रेन संचालन सुनिश्चित करना
- पहली गाड़ी को रूकने (Stop dead) के बाद 10 किमी. / घंटे की रफ्तार से पास करना



